

फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हमीरगढ

प्रकरण संख्या 06/2022

उनवान

~~श्री अजय शंकर पिता बालु शर्मा~~  
~~कार निवासी शफाजि खेड़ा~~  
~~हमीरगढ नीलवादी~~

बनाम श्री अकेशाफ पिता हिरालाल माली  
निवासी हमीरगढ र हमीरगढ  
नीलवादी (राज)

111-28LR44 प्रा0पत्र/राजस्व वाद

रीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्त की तामिल में जारी हुए
----------	---------------------------------	---

13/1/22 बाद जॉच वाद/प्रार्थना पत्र/ईजराय/अपील पेश हुई, दर्ज रजिस्टर किया जावे। सूचना विपक्षीगणो को जरिये तलवाना के अनुसार जारी हो।  
पत्रावली दिनांक 10/3/22 को पेश हो।

3  
उपखण्ड अधिकारी  
हमीरगढ

10/3/22 पत्रावली पेश हुई। नकील प्रार्थी उप। अप्रार्थी खे. 1, 2, 3, 4 वाद तामिल सम्मन प्राप्त। अप्रार्थी खे. 1, 2, 3, वा. 1, 2, 3, 4 अन्तर्गत अन्तर्गत किया जाकर पत्रावली दि 24/3/2022 को पेश हो।

3  
उपखण्ड अधिकारी  
हमीरगढ, धौलखण्ड

24-3-22 पत्रावली पेश हुई। नकील प्रार्थी उप। अप्रार्थी खे. 1, 2, 3 को उप हीम से सम्मन प्राप्त किया जाकर पत्रावली दि 24/3/22 को पेश हो।

3  
उपखण्ड अधिकारी  
हमीरगढ, धौलखण्ड

29/3/22

~~पत्रावली पेश हुई वकील  
पार्की उप.। अपार्की सं. 1, 2, 3  
को उप होने दिस अधिकार  
अन्तर दिये जाकर पत्रावली  
दि 5/4/22 को पेश हो।~~

3  
उपखण्ड अधिकारी  
हमीरगढ़, पी.सि.क.

5.4.22

पत्रावली पेश हुई वकील पार्की उप.। अपार्की सं.  
विक्रम को विधिवत रूप से आवाजे लगाइ गई  
परन्तु कोई उप नही ऐसी स्थिति में प्र.स.  
विक्रम के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश  
पारित किया जाना उचित प्रतीत होता है, अतः  
अपार्की सं. विक्रम अनु रहने से उचित  
विक्रम एक तरफा कार्यवाही के आदेश प्रदान  
किये जाते हैं। साथी ही पार्की का प्र.पत्र.  
111, 128 L.R. अन्त विरुद्ध अपार्की सं. स्वीकार  
किया जाता है। निर्णय पुस्तक से लिखा जाकर  
शा. क्र. पत्रावली ऊंसल बुकाट होकर पारित  
पत्रावली हो।

3  
उपखण्ड अधिकारी  
हमीरगढ़ (राज.)